

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2021—आश्विन 22, शक 1943

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-02-2021-दस-3.—मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 22-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि साल (सोरिया रोबोस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विनिर्दिष्ट वन उपज होंगी और इन प्रजातियों को छोड़कर संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में अन्य कोई वन उपज विनिर्दिष्ट वन उपज नहीं रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-02-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-02-2021-दस-3, दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 14th October 2021

No. F-25-02-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22-A of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyam) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), in supression of the earlier notifications in this regard, the State Government, hereby, directs that Sal (Shorea Robusta) and Teak (Tectona Grandis) shall be specified forest produce in whole of the State of Madhya Pradesh from the date of publication of this notification and no forest produce other than these two species shall be a specified forest produce in whole of the State of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex. Officio Secy.